

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/98339/KNJ/KANNAUJ/604/CFD

दिनांक : 19-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **KANNAUJ PUBLIC SCHOOL** पता **Khasra No. 667, Vill- Akbarpur Sarai Ghagh, Makrand Nagar, Kannauj** तहसील - **Kannauj** प्लॉट एरिया **4252.10 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4571.10** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर School	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या 3	बेसमेन्ट की संख्या 0	ऊँचाई 9.90 mt.
----------------------	--	-------------------------	-------------------

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **KANNAUJ PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-10-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PRADEEP KUMAR TIWARI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-10-2023** से **21-10-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **KANNAUJ PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **KANNAUJ PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : This NOC is Issued on the basis of report of FSSO chbr by the UP Govt. order no18-chh-po-8-2022-905-34-2016TC dated 07.01.2022 regarding the availability and necessity of setback for above building is subject to the SATTA PRADHIKARI, school owner and SATTA PRADHIKARI is responsible for that. To Comply as per UP Fire & Emergency Services Act 2022. All firefighting systems shall always be in working condition. This is responsibility of owner. All access and means of escape shall be free from any obstacle. This final NOC for school is valid upto the second floor. If any modification done in building in future prior permission/NOC will be required from this department.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिदेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MUQIMUL HAQ

F2C8A8E1839A7D5DAC5E8FE93A3D684B88764E5F

22-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-10-2023

स्थान : KANNAUJ